

-:: आदेश ::-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.07.56	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद बोहरा	वरिष्ठ सहायक, कोष कार्यालय	05.08.54	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
3.	श्री गौतम लाल खीवसंरा	कनिष्ठ सहायक, बीमा विभाग	07.7.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
4.	श्री कन्हैया सिंह चौहान	कार्यालय सहायक, न्याय विभाग	07.06.57	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
5.	श्री प्रभू लाल मेहर	कनिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	31.12.54	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
6.	श्री जगदीश सिंह शेखावत	सहा.कार्या.अधीक्षक, शिक्षा विभाग	16.11.55	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
7.	श्री मूल चन्द	सहा.कार्या.अधीक्षक, अभियोजन विभाग	15.08.57	एडीपी भरतपुर	प्रथम बार
8.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	02.03.58	एडीपी जयपुर देहात	प्रथम बार
9.	श्री नन्दकिशोर बालोटिया	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.02.58	एडीपी जैसलमेर	प्रथम बार
10.	श्री लाल सिंह	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	15.07.56	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
11.	श्री तुलसीदास	वरिष्ठ सहायक, वन विभाग	05.06.55	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार

12.	श्री चन्द प्रकाश शर्मा	सहायक कार्यालय अधीक्षक, वन विभाग	29.09.56	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
13.	श्री प्रकाश चन्द गेरा	रीडर, न्याय विभाग	02.11.54	एडीपी हनुमानगढ	प्रथम बार
14.	श्री ओमप्रकाश	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	06.01.57	एडीपी नागौर	द्वितीय बार
15.	श्री खाजू खॉ	वरिष्ठ सहायक, बीसलपुर परियोजना	08.11.53	एडीपी टोंक	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00054/H-10/18 दिनांक 08.06.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर